

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं प. राज. (प्रा. शि.) राजस्थान बीकानेर


क्रमांक : शिविर-प्रारं/नियु-प्रको/नियु-2/982/शि.न.18/ले-1/अनु./सा.शि./2018

दिनांक 11 MAR 2020

-: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती-2018 अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा (एच.आई.) के पदों पर दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक अंको में छूट दिये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 4907/2019 व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22-07-2019 के क्रम में सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन संख्या 01/2018 दिनांक 12-04-2018 के क्रम में संयुक्त विधि परामर्शी के पत्रांक प.18(110)प्राशि/वि.प्र./18 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा स्थाई समिति की बैठक दिनांक 18-09-2019 के द्वारा माननीय खण्डपीठ के निर्णय के विरुद्ध आगे अपील दायर नहीं करने का निर्णय लिया गया। विभाग द्वारा माननीय न्यायालय की पालना में दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों से प्राप्त ऑफ लाईन आवेदन प्राप्त किये गये तथा पंचायत राज नियम 1996 के नियम 277(क) के प्रावधान अनुसार दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों का चयन कर निम्नानुसार जिले आवंटित किये जाते हैं :-

Sr No	Merit No	Application No	Candidate Name	Father Name	DOB	Gender	Category	SELECTION CATEGORY			Allotted distcd	
								9	10	11		
1	WL-184	201820201081	BANWAR MAL CHOUDHARY	RANU LAL CHOUDHARY	01/06/1992	Male	OBC	OBC	Ma	le	BL	Tonk


(सौरभ स्वामी)

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज(प्राशि)


राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविर-प्रारं/नियु-प्रको/नियु-2/982/शि.न.18/ले-1/अनु./सा.शि./2018

दिनांक 11 MAR 2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायत राज विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
- 3 शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
- 4 संयुक्त विधि परामर्शी, प्रारम्भिक शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) शासन सचिवालय, जयपुर
- 5 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिला परिषद्
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (विधि), जयपुर
- 7 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (मुख्यालय), संबंधित
- 8 संबंधित अभ्यर्थियों को विभागीय वेबसाईट के माध्यम से सूचनार्थ।
- 9 रक्षित पत्रावली


उपनिदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज(प्राशि)

राजस्थान बीकानेर